राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 15.04.2020

आदेश

राज्य सरकार के संज्ञान में आया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने से उत्पन्न स्थिति में हिमोफीलिया के मरीजों को फैक्टर–8 एवं फैक्टर–9 की आपातकालीन खुराक के लिए जिला चिकित्सालय/मेडिकल कॉलेज से संबंद्ध अस्पतालों में पहुंचने में कठिनाई का सामाना करना पड रहा है। अतः हिमोफीलिया के मरीजों को फैक्टर–8 एवं फैक्टर–9 की आपातकालीन खुराक उपलब्ध कराने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी तथा अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज से संबंद्ध अस्पतालों को निर्देशित किया जाता है कि हिमोफीलिया के मरीज या उनके परिजनों द्वारा विभाग के नियंत्रण कक्ष नम्बर 104/108 या जिले के कोरोना नियंत्रण कक्ष पर सूचित करने पर एम्बूलेंस द्वारा मरीज को जिला चिकित्सालय/मेडिकल कॉलेज से संबंद्ध अस्पताल में ले जाकर मरीज का हिमोफीलिया की दवा की निर्धारित मात्रा दिलवाकर वापिस उसके गंतव्य पर पहुंचाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

15/04/2020

(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
3. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/
4. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
7. मिशन निदेशक, एन. एच. एम. को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्था कराने का श्रम करावें।
8. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविघालय, जयपुर।
9. समस्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
10. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन राज.
11. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, राज.
12. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
13. सचिव, हिमोफीलिया सोसायटी चैप्टर, जोधपुर संभाग।
14. निजी /रक्षित पत्रावली

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव